Postal Reg. No. : XXXXXXXXX

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

वर्ष 1

साप्ताहिक क़ादियान

बदर

The Weekly BADAR Qadian HINDI

अंक 9

मूल्य 300 रुपए वार्षिक

संपादक शेख़ मुजाहिद अहमद

5 मई 2016 ई

27 रजब 1437 हिजरी कमरी

अख़बार-ए-अहमदिया

रूहानी ख़लीफ़ा इमाम जमाअत अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बेनस्रेहिल अज़ीज सकुशल हैं। अलहम्दोलिल्लाह। अल्लाह तआला हुज़ूर को सेहत तथा सलामती से रखे तथा प्रत्येक क्षण अपना फ़जल नाज़िल करे। आमीन

कोई व्यक्ति दार्शनिकों की नाव पर बैठकर संदेह के तूफान से मुक्ति नहीं पा सकता परन्तु वह ज़रूर डूब जाएगा और हरगिज़ शुद्ध तौहीद का शर्बत उसे उपलब्ध नहीं होगा। बात यही सच है जब तक ज़िन्दा ख़ुदा की ज़िन्दा शक्तियां इंसान देख नहीं लेता शैतान उसके दिल में नहीं निकलता और न सच्ची तौहीद उसके दिल में प्रवेश करती है और न निश्चित रूप से खुदा की तौहीद के प्रति आश्वस्त हो सकता है। और यह शुद्ध और सही तौहीद केवल आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के माध्यम से मिलती है।

उपदेश हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं:

"वे लोग जो इस ग़लत धारणा पर जमे हुए हैं कि जो व्यक्ति आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम्म पर विश्वास न लाए या मुर्तद हो जाए और तौहीद पर क़ायम (स्थापित) हो और ख़ुदा को भी ला शरीक लहो जानता है वह भी मुक्ति पा जाएगा और ईमान न लाने या मुर्तद होने से उसको कुछ भी हानि नहीं होगी जैसा कि अब्दुल हकीम खान का धर्म है ऐसे लोग वास्तव में तौहीद (एकेश्वरवाद) की सच्चाई से ही अनजान हैं। हम बार बार लिख चुके हैं कि यूं तो शैतान भी ख़ुदा तआला को ही ला साझीदार के बिना समझता है। मगर केवल एकमात्र समझने से मुक्ति नहीं हो सकती बल्कि मुक्ति तो दो अमर पर निर्भर है।

(1) एक यह कि विश्वास के साथ ख़ुदा तआला की हस्ती और एकेश्वरवाद पर विश्वास लाए।

(2) दूसरे यह कि ऐसी पूर्ण मुहब्बत अल्लाह तआला की उस के दिल में मौजूद हो कि जिस के प्रभाव और प्रभुत्व का निष्कर्ष है कि ख़ुदा तआला की आज्ञा का पालन ही उसकी जान की राहत हो जिसके बिना वह जी ही न सके और उस की मुहब्बत सभी दूसरों की मोहब्बतों को प्रताड़ित और नष्ट कर दे यही वास्तविक तौहीद है कि हमारे सय्यद तथा मौला हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम्म की आज्ञा पालन के अतिरिक्त प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसका जवाब यह है कि ख़ुदा की हस्ती ग़ैब से भी ग़ैब और छुपो हुओं में भी छुपी हुई और बहुत अधिक छुपी हुई है जिसे कोई इंसानी अक्ल केवल अपनी ताकत से खोज नहीं कर सकती और कोई अक्ल का तर्क उस के वजूद पर मज़बूत तर्क नहीं हो सकती क्योंकि बुद्धि की दौड़ और कोशिश केवल इस सीमा तक है कि इस संसार की चीज़ों को देखकर निर्माता की ज़रूरत महसूस करे मगर ज़रूरत महसूस करना और बात है और उस स्थिति हक्कुल-यकीन तक पहुंचना कि जिस ख़ुदा की आवश्यकता स्वीकार की गई है वह वास्तव में मौजूद भी है यह और बात है। और चूंकि बुद्धि के तरीका घटिया और असम्पूर्ण और संदिग्ध है इसलिए प्रत्येक दार्शनिक मात्र बुद्धि के माध्यम से ख़ुदा की पहचान नहीं कर सकता बल्कि अक्सर ऐसे लोग जो केवल बुद्धि के माध्यम से ख़ुदा तआला का पता लगाना चाहते हैं अंतत: नास्तिक बन जाते हैं। और ज़मीन और आसमान की चीज़ों पर विचार करने के लिए कुछ भी उन्हें फायदा नहीं पहुंचा सकता। और ख़ुदा तआला के पूर्ण बन्दों पर ठट्ठा और हंसी करते हैं और उनका यह तर्क है कि दुनिया में असंख्य ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिनके अस्तित्व का हम कोई लाभ नहीं देखते और जिन में हमारी अकल के तर्क तथा अनुसंधान से कोई ऐसी चीज़ प्रमाणित नहीं होती जो के निर्माता की ओर इशारा करे बल्कि सिर्फ व्यर्थ और झुठे रूप में इन चीज़ों का अस्तित्व होता है। अफसोस वह नादान नहीं जानते कि ज्ञान के न होने से चीज़ का न होना अनिवार्य नहीं है। ऐसे लोग कई लाख इस ज़माने में पाए जाते हैं जो अपने आप को पहले नम्बर का बुद्धिमान और दार्शनिक विचार करते हैं और ख़ुदा तआला के अस्तित्व से सख्त इनकार करते हैं। अब स्पष्ट है कि अगर कोई तर्कसंगत दलील जबरदस्त उन्हें मिलती तो वह ख़ुदा तआला के अस्तित्व से इनकार नहीं करते। और अगर अल्लाह तआला पर कोई सुनिश्चित दलील तर्कसंगत उन्हें आरोपी करती तो वह सख्त अभद्रता और ठट्ठे और हँसी के साथ ख़ुदा तआला के अस्तित्व से इनकार न करते। इसलिए कोई व्यक्ति दार्शनिकों की नाव पर बैठकर संदेह के तूफान से मुक्ति नहीं पा सकता परन्तु वह ज़रूर डूब जाएगा और हरगिज़ शुद्ध तौहीद का शर्बत उसे उपलब्ध नहीं होगा। अब सोचो कि यह विचार कितना झूठा और बदबूदार है कि बिना नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के माध्यम के तौहीद मिल सकती है और इससे इंसान मुक्ति पा सकता है। हे मूर्खो ! जब तक ख़ुदा की हस्ती पर पूर्ण विश्वास न हो उसकी तौहीद पर कैसे विश्वास हो सके। इसलिए निश्चित रूप से समझो कि सुनिश्चित तौहीद केवल नबी के माध्यम से ही मिल सकती है जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अरब के नास्तिकों और धर्म विमुखों को हज़ारों आसमान के चिन्ह दिखला कर ख़ुदा तआला की हस्ती का मानने वाला बना दिया और अब तक आँ हज़रत सल्लल्लाहो वसल्लम का सच्चा और पूर्ण पालन करने वाले चिन्हों को नास्तिकों के सामने पेश करते हैं। बात यही सच है जब तक ज़िन्दा ख़ुदा की ज़िन्दा शक्तियां इंसान देख नहीं लेता शैतान उसके दिल से नहीं निकलता और न सच्ची तौहीद उसके दिल में प्रवेश करती है और न निश्चित रूप से खुदा की तौहीद के प्रति आश्वस्त हो सकता है। और यह शुद्ध और सही तौहीद केवल आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के माध्यम से मिलती है। और वह जबरदस्त निशान जो नबी के माध्यम से दिखाई देते हैं जैसा कि वह ख़ुदा तआला की हस्ती और तौहीद को साबित करते हैं उसी तरह ख़ुदा तआला के जमाल और प्रताप के गुणों को पूर्ण और उत्तम रूप में साबित करके उसकी महानता और प्यार को दिलों में बिठाते हैं और जब इन निशानों से जिनकी जड़ ज़बरदस्त और प्रतापी भविष्यवाणियां हैं ख़ुदा तआला की हस्ती और तौहीद और उसके जमाल और प्रताप के गुणों पर विश्वास आ जाता है तो इसका अनिवार्य परिणाम यह होता है कि इंसान ख़ुदा तआला को उसकी हस्ती और सारी विशेषताओं में एकमात्र साझीदार नहीं जानता है और उसकी ताकतों और आध्यात्मिक हुस्न व सुन्दरता पर नज़र डालकर उसकी मुहब्बत में खोया जाता है और फिर उसकी महानता और महिमा और बेनियाज़ी पर नज़र डालकर उससे डरता रहता है और इस तरह से वह दिन प्रति दिन ख़ुदा तआला की ओर खिंचा जाता है यहाँ तक कि सभी तामसिक संबंध तोड़ कर मात्र रूह रह जाती है और सीना का सारा आंगन उसका अल्लाह तआला की मुहब्बत से भर जाता है और ख़ुदा के अस्तित्व के दर्शन से उस के अस्तित्व पर एक मौत वारिद हो जाती है और वह मौत के बाद एक नया जीवन पाता है। तब उस फना की हालत में कहा जाता है कि उसको तौहीद प्राप्त हो गई है। तो जैसा कि हम लिख चुके हैं वह पूर्ण तौहीद जो मुक्ति का स्रोत है सिवाय पूर्ण नबी के अनुकरण से प्राप्त हो ही नहीं सकता।

(हकीकतुल वह्यी, रूहानी खज़ायन,भाग 22, पृष्ठ 119 -122)

☆ ☆ ☆

जमील अहमद नासिर प्रिंटर एवं पब्लिशर ने फ़ज़्ल-ए-उमर प्रिंटिंग प्रेस क़ादियान में छपवा कर दफ़्तर अख़बार बदर से प्रकाशित किया। प्रौपराइटर - निगरान बदर बोर्ड क़ादियान

सम्पादकीय

इस्लाम में ख़िलाफ़त की व्यवस्था

(हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब एम.ए. रज़ियल्लाहो

ख़िलाफ़त का विषय मोटे तौर पर निम्नलिखित शाखों में विभाजित है।

1. ख़िलाफत का अर्थ। 2. ख़िलाफ़त की आवश्यकता।
3. ख़िलाफ़त की स्थापना। 4. ख़िलाफ़त की निशानियाँ।
5. ख़िलाफ़त के अधिकार। 6. ख़िलाफ़त से अलग होने का सवाल।
7. ख़िलाफ़त का समय।

मैं इन सब के बारे मैं संक्षेप में उत्तर देने की कोशिश करूंगा ।

1. ख़िलाफ़त का अर्थ

सर्व प्रथम ख़िलाफ़त के अर्थ का प्रश्न है अर्थात् यह कि ख़िलाफ़त से क्या अभिप्राय है ? और निज़ामें ख़िलाफ़त किस चीज़ का नाम है ? जानना चाहिये कि ख़िलाफ़त एक अरबी शब्द है। जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी के पीछे आना या किसी का उत्तराधिकारी बनना या किसी का उत्तराधिकारी बनकर उसके कर्तव्यों का पालन करना तथा परिभाषिक रूप से ख़लीफ़ा का शब्द दो अर्थों में प्रयोग होता है। प्रथम यह कि वह सुधारक जो ख़ुदा की तरफ से दुनिया में समाज सुधार के कार्य के लिये नियुक्त किया जाता है। इन अर्थों में सभी अवतार तथा रसूल ख़लीफ़तुल्लाह (ख़ुदा के ख़लीफ़ा) कहलाते हैं। क्योंकि वह ख़ुदा तआला के उत्तराधिकारी होने की हैसियत से काम करते हैं और इन्हीं अर्थों में क़ुर्आन शरीफ़ ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ख़लीफ़ा के नाम से याद किया है । दूसरे वह महान् व्यक्ति जो किसी नबी (अवतार) या रूहानी सुधारक के देहान्त के पश्चात् उसके कार्यों को पूरा करने के लिये उसका उत्तराधिकारी तथा उसकी जमाअत का नेतृत्व करते हैं। जैसा कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के देहान्त के पश्चात् हज़रत अबू बकर (रज़ि) फिर हज़रत उमर(रज़ि) उत्तराधिकारी (ख़लीफ़ा) बने ।

2. ख़िलाफ़त की आवश्यकता

दूसरा प्रश्न ख़िलाफ़त की आवश्यकता का है । अर्थात् निज़ामें ख़िलाफ़त की आवश्यकता क्या है ?

इस बारे में जानना चाहिये कि अल्लाह तआला का हर काम हिकमत और दानाई (बुद्धिमत्ता) के साथ होता है और क्योंकि उसके प्राकृतिक कानून के अधीन मनुष्य की आयु सीमित है । परन्तु सुधार का काम लम्बे समय की निगरानी और प्रशिक्षण चाहता है । इसलिये ख़ुदा तआला ने नबुव्वत के बाद ख़िलाफ़त (उत्तराधिकारिता) की व्यवस्था की । ताकि नबी (अवतार) की मृत्यु के पश्चात् उत्तराधिकारियों द्वारा उनके कार्यों को पूरा किया जाए । अर्थात् जो बीज नबी द्वारा बोया जाता है उसे ख़ुदा तआला इस हद तक पूरा करने की व्यवस्था करता है कि वह प्राथमिक ख़तरों से सुरक्षित होकर एक मज़बूत वृक्ष बन जाए। इससे स्पष्ट है कि ख़िलाफ़त की व्यवस्था वास्तव में नबुव्वत की व्यवस्था की एक शाख़ा तथा उसे परिपूर्ण करने वाली है । इसी लिये हमारे आक़ा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हदीस में फ़र्माते हैं कि प्रत्येक नबुव्वत के पश्चात् ख़िलाफ़त (उत्तराधिकारिता) आती है ।

3. ख़िलाफ़त की स्थापना

क्योंकि ख़िलाफ़त नबुव्वत के सिस्टम की ही एक शाखा है और इसको पूर्णता प्रदान करने वाली है, इसलिये अल्लाह तआला ने इसे लागू करने का कार्य नबुव्वत की तरह अपने हाथ में रखा है। ताकि वही व्यक्ति ख़िलाफ़त के आसन पर बैठे जो ख़ुदा के निकट उपस्थित लोगों में इस बोझ को उठाने के लिये सबसे उचित हो ।

लेकिन चूंकि नबी के प्रकट होने के पश्चात् मोमिनों की एक जमाअत अस्तित्व में आ चुकी होती है तथा वह नबुव्वत के (प्रकाश एवं) फ़ैज़ से प्रशिक्षित भी हो चुकी होती है इसलिये ख़ुदा तआला ख़िलाफ़त के चुनाव में मोमिनों को भी हिस्सेदार बना देता है। ताकि वह इसकी आज्ञा का पालन करने और उसकी मदद करने में हार्दिक ख़ुशी महसूस करें ।

इस तरह ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) का चुनाव एक अनोखा मिला जुला रंग रखता है कि देखने में तो लोग चुनाव कहते हैं मगर वास्तव में ख़ुदा की तकदीर पूरी होती है तथा ख़ुदा तआला मोमिनों के दिलों को अपने वश में करके उनकी राय को उपयुक्त व्यक्ति की ओर फेर देता है। इसी लिये क़ुर्आन शरीफ़ में हर जगह ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारियों) की नियुक्ति को ख़ुदा की ओर मनसूब किया गया है तथा बार-बार फ़मार्या है कि ख़लीफ़ा मैं बनाता हूँ। तथा इसी वास्तविकता की तरफ इशारा करने के लिये आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर की ख़िलाफ़त के बारे में फ़र्माते हैं कि मेरे पश्चात् ख़ुदा और मोमिनों की जमाअत अबू बकर के सिवा किसी और व्यक्ति की खिलाफत पर राज़ी नहीं होगी और हज़रत मसीहे मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी पुस्तक अल् वसीय्यत में यही संकेत दिया है कि आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज़रत अबू बकर को ख़ड़ा करके मुसलमानों की गिरती हुई जमाअत को संभाल लिया और हज़रत अबू बकर के उदाहरण से ख़ुद अपने बारे में भी संकेत किया कि मेरे पश्चात् कुछ और व्यक्ति होंगे जो ख़ुदा की दूसरी कुदरत के प्रतीक होंगे ।

इन हवालों (प्रसंगों) से यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध होती है कि बेशक ख़िलाफ़त की नियुक्ति में मोमिनों की राय भी ली जाती है लेकिन वास्तव में तक़दीर ख़ुदा की चलती है ।

4. ख़िलाफ़त की निशानियां (चिन्ह)

अब प्रश्न यह उठता है कि ख़िलाफ़त की निशानियां क्या हैं जिससे एक सच्चे ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) को पहचाना जा सके। अत: जानना चाहिए कि जैसा कि क़ुर्आन और हदीस से ज्ञात होता है कि सच्चे ख़लीफ़ा की दो बड़ी निशानियां हैं । एक निशानी वह है जो सूरत नूर की आयते-इस्तिख़लाफ़ में व्यक्त की गई है । अर्थात्

"सच्चे उत्तराधिकारियों के माध्यम से खुदा तआला दीन की मज़बूती का सामान पैदा करता है तथा मोमिनों के भय की हालत को अमन में बदल देता है। यह खलीफ़ा (उत्तराधिकारी) केवल मेरी ही इबादत करते हैं और मेरे साथ किसी भी वस्तु को समानता नहीं देते।"

अत: जिस प्रकार वृक्ष अपने फल से पहचाना जाता है उसी प्रकार सच्चा ख़लीफ़ा भी अपने उस रूहानी फल से पहचाना जाता है जो आरम्भ से ही उसके साथ समंबधित हो चुका है।

दूसरी निशानी :- हदीस में व्यक्त की गई है जो यह है कि कुछ ख़ास हालतों को छोड़ कर हर ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) का चुनाव मोमिनों के एक मत से होना चाहिए। क्योंकि बेशक तकदीर तो ख़ुदा की ही चलती है परन्तु ख़ुदा ने अपनी योजना के अन्तर्गत उत्तराधिकारियों की नियुक्ति में मोमिनों के एक मत का दख़ल भी रखा हुआ है । जैसा कि हज़रत अबू बकर की ख़िलाफ़त के बारे में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम फ़र्माते हैं कि ''न तो ख़ुदाई तकदीर अबू बकर के सिवा किसी और को ख़लीफा बनने देगी और न ही मोमिनों की जमाअत किसी और की ख़िलाफ़त पर राज़ी होगी ।" अत: प्रत्येक सच्चे ख़लीफ़ा की यह दोहरी निशानी है कि :-

1. वह मोमिनों के चुनाव से स्थापित हो ।
2. तथा ख़ुदा तआला अपने कर्म से उसकी मदद के लिये ख़ड़ा हो जाये तथा उसके माध्यम से मज़बूती मिले ।

ख़िलाफ़त की बरकतें

जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि ख़िलाफ़त एक बहुत ही मुबारक निज़ाम है । जिसके माध्यम से नबुव्वत रूपी सूर्य के अस्त होने के पश्चात् अल्लाह तआला नबुव्वत रूपी चन्द्रमा के उदय होने का प्रबन्ध करता है और ख़ुदाई जमाअत को उस धक्के के (बुरे) लक्ष्णों से बचा लेता है जो नबी की मृत्यु के पश्चात् नई पैदा हुई जमाअत पर एक भारी मुसीबत के तौर पर पड़ती है ।

पवित्र कुर्आन मजीद के अध्ययन से पता चलता है कि नबी का काम हिदायत देने के साथ साथ मोमिनों की जमाअत की दोनों प्रकार की शिक्षा, उनके रूहानी तथा नैतिक प्रशिक्षण तथा उनकी व्यवस्था से सम्बन्ध रखता है और यह सारे काम नबी की मृत्यु के पश्चात् समय के ख़लीफा (उत्तराधिकारी) की ओर परिवर्तित हो जाते हैं। जो जमाअत को बिखरने से बचा कर उन्हें एक मज़बूत लड़ी में पिरोए रखता है।

इसके अतिरिक्त नबी का दिल जमाअत के लिये प्रेम तथा विश्वास के सम्बंधों का रूहानी केन्द्र बिन्दु होता है। जिसके माध्यम से वह आपसी प्रेम एक उद्देश्य तथा एक दूसरे की मदद करने का पाठ सीखते हैं तथा ख़लीफ़ा इस वफ़ा (भाईचारे तथा प्रेम) के बन्धन को जारी तथा ताज़ा रखने का माध्यम बनता है । इसी लिये आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पूरी जमाअत को जो कि एक हाथ पर एकत्रित होने की वजह से खलीफ़ा के साथ संम्बधित होती है एक बहुत बड़ा इन्आम (पुरस्कार) क़रार दिया है । और इसे बड़ी महत्ता दी है तथा जमाअत में भिन्नता पैदा करने वाले पर लानत भेजी है । आप फर्माते हैं ''जो व्यक्ति जमाअत से कटता तथा इसके अन्दर फिरका बाज़ी पैदा करता है वह अपने लिये आग का रास्ता खोलता है।" तथा दूसरी

शेष पृष्ठ 8 पर

ख़ुत्बः जुमअः

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने लेखों, भाषणों और मज्लिसों में भी कुछ बातें उदाहरण से उल्लेख किया करते थे जो आप के सहाबा की रिवायतों से हमें मिलती हैं लेकिन सबसे अधिक एहसान इस बारे में हम पर हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहो अन्हो का है जिन्होंने अपने उपदेशों और ख़ुत्बों में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बयान की गई बातें बयान की हैं जो प्राय हज़रत मुस्लेह मौऊद ने ख़ुद देखीं या सुनीं या करीब के सहाबा ने आप को बताई। मैं पिछले कुछ समय से इन बातों और रिवायतों को ख़ुत्बों में बयान कर रहा हूँ जिस पर कई ख़त भी आए हैं कि इन उदाहरणों या घटनाओं से हमें आसानी से समझ आ जाती है। बहरहाल इस बारे में आज का ख़ुत्बा भी है।

आजकल इस्लामी देशों में जो हड़तालें और बग़ावतें होती हैं, सिवाय इसके जहां शैतानी ताकतें काम कर रही हैं आमतौर जनता और सरकार के बीच बैचेनियां एक दूसरे का हक़ अदा न करने की वजह से पैदा होती हैं।

अपनी सुस्ती को अपनी बीमारियों के लिए जिम्मेदार ठहराया न करें। जो हम करते हैं इसलिए जो सुस्त रहने वाले लोग हैं और इसलिए अपने कर्तव्यों में कोताही बरतते हैं उन्हें शरीर का मलेरिया नहीं है बल्कि उन्हें दिल का मलेरिया है अगर यह तय कर लें कि हम ने मेहनत करनी है तो यह सब सुस्तियाँ दूर हो सकती हैं।

कुछ पति मेहर अदा तो अलग रही औरत जो अपनी कमाई कर रही है इस पर भी प्रतिबंध लगा देते हैं कि तुम ने हमारे पूछे बिना खर्च नहीं करना या हमें दो यह सारी जो आय है उसमें इतना हिस्सा हमारे पास आना चाहिए हमारे बैंक खाते में जाना चाहिए जो सरासर नाजायज़ बात है। इसी तरह कुछ ग़रीब परिवारों में और कुछ स्थानों पर यह भी रिवाज है ग़रीब देशों में है कि माता-पिता शादी के समय मेहर लड़की के पति या ससुराल से ही हासिल कर लेते हैं और लड़की को कुछ भी नहीं मिलता। वह शादी के बाद खाली हाथ रहती है। यह भी ग़लत बात है।

कुछ लोगों का फर्ज़ है कि वह केवल धर्म की ओर ध्यान रखें। अल्लाह तआला ने उन्हें इसी काम के लिए बनाया है, लेकिन बाकी लोग हैं जो सिर्फ दुनिया के रहने वाले जो हैं वे वास्तव में अब दुनिया कमाने के लिए और फिर अपने धन और समय का कुछ हिस्सा खर्च करें। इबादत और धर्म के कामों में भी अपने समय को लगाएं इस्तिग़फार भी करें दुआएं भी करें।

हमारी शिक्षा और रिवायतों के ख़िलाफ बात हो इससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए और दुनियादारी में अगर हम नकल करनी है तो एक तो यह दुनियादारी की नकल है ही नहीं और अगर किसी भी मामले में नकल करना है तो अल्लाह तआला ने जो हमें फरमाया है कि आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए उस्वा हस्ना हैं आप की नकल करनी चाहिए या फिर इस ज़माना में अल्लाह तआला ने हमारे सामने जो नमूना बनाया हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का। आप ने जो अपने आक़ा से सीखा हमें बताया उसके अनुसार हमें चलना चाहिए।

शादी का मूल उद्देश्य तो मन की शांति और नस्ल की स्थापना है। तो अल्लाह तआला से उस का फज़्ल मांगना चाहिए और यदि अल्लाह तआला के पास बेहतर है तो हो वरना दिल से उतर जाए और ख़त्म हो जाए। यह मुहब्बतें जो संसार में यह अस्थायी मुहब्बतें होती हैं दुनिया की मुहब्बत भी अल्लाह तआला की मुहब्बत के लिए मांगनी चाहिए।

सैयद असदुल इस्लाम शाह साहब पुत्र सैयद नईम शाह साहब ग्लासगो की शहादत। शहीद मरहूम का ज़िक्रे ख़ैर और नमाज़ जनाज़ा ग़ायब।

ख़ुत्बः जुमअः सय्यदना अमीरुल मो'मिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़,

दिनांक 1 अप्रैल 2016 ई. स्थान - मस्जिद बैतुलफ़ुतूह, मोर्डन, यू.के.

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ۔ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۔

पिछले ख़ुत्बा में मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक उद्धरण पढ़ा था जिस में आपने फरमाया था कि आप लोग जो मेरे ज़माने में पैदा हुए हो ख़ुश हो और ख़ुशी से उछलो कि अल्लाह तआला ने तुम्हें इस ज़माना में पैदा करके उन ख़ुश किस्मतों में शामिल कर दिया जिन्हें मसीह मौऊद का ज़माना देखने को मिला जिसका इंतजार करते-करते कितनी ही क़ौमें इस दुनिया से गुज़र गईं। अर्थ यही था जिसे मैंने अब अपने शब्दों में बयान किया है। हम अहमदी वास्तव में उन ख़ुश किस्मतों में से हैं जिन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैअत की और उन लोगों में शामिल हुए जो अल्लाह तआला के आदेश का पालन करने वाले हैं। उन बद किस्मतों में नहीं हैं जिन्हें बावजूद मसीह मौऊद का ज़माना मयस्सर आने के बैअत करने की तौफीक नहीं मिली क्योंकि कुछ ऐसे बद किस्मत भी हैं जो विरोध में भी बढ़े हुए हैं और इस प्रकार अल्लाह तआला के भेजे हुए के मार्गदर्शन से वंचित होकर भटके हुए और बिखरे हुए हैं। इसलिए इस बात पर हम अल्लाह तआला का जितना भी शुक्र करें वह कम है कि उसने सीधे रास्ते की तरफ हमारा मार्गदर्शन फरमाया और हमें जीवन के विभिन्न अवसरों पर उठने वाले सवालों और समस्याओं के समाधान भी सही इस्लामी शिक्षा के अनुसार अपने भेजे हुए इमाम द्वारा बताए।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने लेखों, भाषणों और मज्लिसों में भी कुछ बातें उदाहरण से उल्लेख किया करते थे जो आप के सहाबा की रिवायतों से हमें मिलती हैं लेकिन सबसे अधिक एहसान इस बारे में हम पर हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहो अन्हो का है जिन्होंने अपने उपदेशों और ख़ुत्बों में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बयान की गई बातें बयान की हैं जो प्राय हज़रत मुस्लेह मौऊद ने ख़ुद देखीं या सुनीं या करीब के सहाबा ने आप को बताई। ऐसे उदाहरण से बात समझना आसान हो जाता है। मैं पिछले कुछ समय से इन बातों और रिवायतों को ख़ुत्बों में बयान कर रहा हूँ जिस पर कई ख़त भी आए हैं कि इन उदाहरणों या घटनाओं से हमें आसानी से समझ आ जाती है। बहरहाल इस बारे में आज का ख़ुत्बा भी है।

एक ख़ुत्बा में हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहो अन्हो ने इस विषय का वर्णन किया कि हड़तालें या सट्राईकस जायज़ हैं या नहीं। इस बारे में सिद्धांत रूप में यह भी देखना चाहिए कि हड़तालें क्यों होती हैं उसका मूल कारण क्या है। वह यह है कि हक की अदायगी नहीं होती। सांसारिक निज़ाम में कभी मालिक मज़दूर के हक़ अदा नहीं करता और जब मज़दूर को मौका मिलता है तो वह मालिक का हक़ अदा नहीं करता। एक बेचैनी पैदा होती है। कभी सरकार प्रजा के हक को अदा नहीं करती और कभी प्रजा सरकार का हक़ अदा नहीं करती। जब मालिक और सरकार सही

अदायगी नहीं करते तो ज़ाहिर है कि एक प्रतिक्रिया है लेकिन जब मज़दूर और प्रजा हक़ अदा नहीं करते फिर भी उन पर सख्ती होती है। तो सांसारिक कार्यों में एक शैतानी चक्र है जिस में आदमी फंसा हुआ है इसलिए इस्लाम की शिक्षा यह है कि तुम एक दूसरे के लिए ग़ैर न बनों बल्कि आपस में भाई-भाई समझ कर अपने-अपने हक अदा करने की कोशिश करो तो निज़ाम जो है चाहे वह सांसारिक निज़ाम है कभी ख़राब नहीं होता। इस बारे में इस्लामी शिक्षा और इस्लामी संस्कृति का यह सार है और यह सिर्फ इस्लामी सरकार तक ही संबद्ध नहीं है बल्कि साधारण सांसारिक हुकूमत में भी अपने हक़ अदा करते हुए करना चाहिए और जहां हक लेने का सवाल है वहाँ स्ट्राइक के बजाय हड़तालों के बजाय अवैध साधनों का उपयोग करने के बजाय जायज़ कानूनी साधनों का उपयोग करना चाहिए। बहरहाल इस सिलसिले में हज़रत मुस्लेह मौऊद बयान फ़रमाते हैं कि "इस्लामी इमारत जो सभ्यता के बारे में है। इसकी बुनियाद इंसाफ और मुहब्बत पर है इसलिए अपने अधिकार के सिद्धांत के लिए भी वही तरीके अपनाने चाहिए जो इंसाफ और मुहब्बत पर आधारित हो। यही कारण है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माना में जब कभी स्ट्राइक होती और कोई अहमदी उसमें शामिल होता तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उसे सख्त सज़ा देते और उस पर नाराज़गी प्रकट फ़रमाते।"

(ख़ुत्बाते महमूद भाग 17 पृष्ठ 133)

आजकल इस्लामी देशों में जो हड़तालें और बग़ावतें होती हैं, सिवाय इसके जहां शैतानी ताकतें काम कर रही हैं आमतौर जनता और सरकार के बीच बेचैनियां एक दूसरे का हक़ अदा न करने की वजह से पैदा होती हैं। अगर सरकार न्यायपूर्ण निज़ाम चला रही हो तो जो शैतानी ताकतें दंगा फैलाती हैं या बाहरी ताकतें फसाद फैलाती हैं उन्हें भी मौका न मिले। क्योंकि जब जनता के हक अदा किए जा रहे हैं तो कोई किसी मौलवी या किसी दंगाई या किसी शरारत करने वाले या किसी विद्रोही या फित्ना फसाद करने वाले के पीछे नहीं चलता। अल्लाह तआला मुस्लिम देशों को पाकिस्तान को विशेष रूप से, उनकी सरकारों को यह अक्ल दे कि वे अपनी प्रजा का हक़ अदा करने वाले हों। इसी तरह हर अहमदी को भी दुआ के साथ-साथ अगर कहीं जबरन शामिल करने की कोशिश भी की जाती है तो मजबूरी में ऐसी हरकत कोई न करे जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली हो सरकार के मालों को नुकसान पहुंचाने वाली हो।

हर इंसान जो किसी भी काम से जुड़ा है वह अगर अपने काम में रुचि रखता है तो अपनी सारी क्षमताओं के साथ इसे अदा करने की कोशिश करता है। यह एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है इसकी व्याख्या करते हुए एक जगह हज़रत मुस्लेह मौऊद ने स्पष्ट फरमाया और फिर उदाहरण भी दिया कि यदि कोई सैनिक या जरनैल है या शिक्षक या जज या वकील या व्यापारी या विधान सभा का सैक्रेटरी है स्पीकर है सरकार का मंत्री है कोई भी हो जो ईमानदारी से काम करता है मन लगाकर काम करने वाला है पूरा समय देने वाला है तो शाम को थक कर बैठता है जब तो यही कहता है कि सारे दिन की मसरूफियत और बोझ ने हमारी कमर तोड़ दी लेकिन जब हम आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो हमारे लिए जो उस्वा आपने पेश किया वह आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का उस्वा यह है कि यह सब काम जो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लोग करते हैं वह आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम इन सबसे बढ़कर करते हुए नज़र आते हैं। आप जज थे। आप शिक्षक भी थे। आप अन्य सरकारी कर्तव्यों को अदा करते थे क्योंकि सरकार के मुखिया थे। कानून बनाते थे या कानून की व्याख्या और विवरण बयान फरमाते थे लेकिन साथ ही अपने घर के कामकाज भी कर लेते थे। पत्नियों की मदद भी करते थे। आपने यह कभी नहीं फरमाया कि मैं इतना व्यस्त व्यक्ति हूँ कि तुम्हारे घर में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसका थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करते हुए हज़रत मुस्लेह मौऊद ने फरमाया कि "देखो रसूल करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अपनी पत्नियों के अधिकारों को अदा करते थे और इतना ध्यान से अदा करते थे कि हर बीवी समझती थी कि सब से अधिक मैं ही आपका ध्यान के नीचे हूँ। फिर बीवी भी एक नहीं। आपकी नौ पत्नियां थीं और नौ पत्नियों के होते हुए एक बीवी भी यह विचार नहीं करती थी कि मेरी ओर ध्यान नहीं जाता है। तो असर की नमाज़ के बाद रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सामान्य आदत थी कि आप सारी पत्नियों के घरों में एक चक्कर लगाते और उनसे उनकी ज़रूरतें पूछते। फिर कई बार घरेलू कामों में आप उनकी मदद भी कर देते। इस काम के अलावा जो अभी बयान हुए हैं (बहुत सारे काम थे) और भी बीसियों काम हैं जो नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम करते। आप की ज़िन्दगी का कोई क्षण ऐसा नहीं जो ख़ाली हो मगर आप भी इसी देश में रहते हैं जहां जिसके बारे कहा जाता है कि यह मलेरिया की बीमारी का देश है।(क्योंकि एशिया और अफ्रीका के कई देशों में रहने वाले लोग अपनी सुस्ती के कारण काम न करने के कारण इस क्षेत्र में रहने बयान करते हैं और इसलिए कि यहां मलेरिया का क्षेत्र है और सुस्ती पैदा हो जाती है। बीमारियां बहुत पैदा होती हैं इसलिए आप ने मलेरिया का उदाहरण दिया कि आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ये सारे घरेलू काम भी करते थे बावजूद इसके कि आप भी उसी क्षेत्र में रहते थे जहां मलेरिया है। अब एशिया के लोग अफ्रीका के लोग कुछ बहाना पेश करते हैं हमारी सुस्तियों का यह कारण हो गया काम न करने की यह वजह हो गई तो यह कारण तो वहाँ भी मौजूद थे जहां आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम रहते थे।) फिर हज़रत मुस्लेह मौऊद फरमाते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को हमने देखा है कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के ज़िल्ल (प्रतिरूप) थे। हज़रत मुस्लेह मौऊद फरमाते हैं कि मुझे याद है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के काम की यह हालत होती थी कि हम जब सोते तो आप को काम करते देखते और जब आंख खुलती तब भी आप को काम करते देखते और बावजूद इतनी मेहनत और परिश्रम सहने के जो दोस्त आप की किताबों के प्रूफ पढ़ने में शामिल होते तो उनके काम की इतनी कदर फरमाते कि अगर इशा के वक्त भी कोई आवाज़ देता कि हुज़ूर प्रूफ ले आया हूँ तो चारपाई से उठ कर दरवाज़े तक जाते हुए रास्ते में कई बार कहते जज़ाक अल्लाह आप को बड़ी तकलीफ हुई जज़ाक अल्लाह आप को बड़ी तकलीफ हुई हालांकि वह काम जो प्रूफ रीडिंग करने वाले जो करते थे काम से कुछ नहीं होता था जो आप ख़ुद करते थे। अत: इतना काम करने की आदत हम ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम में देखी है कि इसकी वजह से हमें हैरत होती थी। बीमारी की वजह से कई बार आप को टहलना पड़ता था मगर इस हालत में भी काम करते जाते थे। सैर के लिए भी जाते तो रास्ते में भी मस्लों का वर्णन करते और प्रश्नों के उत्तर देते हालांकि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी उसी मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले थे।

(ख़ुत्बाते महमूद भाग 17 पृष्ठ 249)

अत: हज़रत मुस्लेह मौऊद फरमाते हैं कि हम अपनी सुस्ती को अपनी बीमारियों के लिए जिम्मेदार न ठहराया करें। इसलिए जो सुस्त रहने वाले लोग हैं और इसलिए अपने कर्तव्यों में कोताही बरतते हैं उन्हें शरीर का मलेरिया नहीं है बल्कि उन्हें दिल का मलेरिया है अगर यह तय कर लें कि हम ने मेहनत करनी है तो यह सब सुस्सतियां दूर हो सकती हैं। अब मलेरिया वाले क्षेत्र में तो एक तरफ रहे यहां जो यूरोप में इन क्षेत्रों से लोग आकर बसे हुए उनमें भी कई ऐसे हैं जो घरों में पड़े ऐंठे रहते हैं सारा दिन घर में बैठे रहे या टीवी देखते रहे या पत्नियों से लड़ते झगड़ते रहे या बच्चों से ऐसा व्यवहार किया कि बच्चे भी तंग आ जाते हैं। यह बीमारी नहीं होती। बहाना यह है कि बीमार हैं यह बीमारी नहीं बल्कि सुस्ती है, आलस है क्योंकि यहाँ यह चिंता नहीं कि कोई कमाई की चिंता हो। क्योंकि गुज़ारा के लिए भत्ता तो मिल ही जाता है इसलिए काम नहीं करते। इसलिए इस आलस और सुस्ती को यहां रहने वालों को भी दूर करना चाहिए।

फिर इस्लाम में औरत का भविष्य सुरक्षित करने के विभिन्न तरीके हैं। एक यह भी है कि जब उसकी शादी हो तो उसके लिए सही मेहर रखा गया है। इसलिए यह अदा होना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि केवल तलाक या अलगाव की स्थिति में ही मेहर अदा करना है हालांकि हक महेर का उद्देश्य क्या है ? उद्देश्य यह है कि यह वह रकम है जो औरत के पास होनी चाहिए ताकि कई बार उसे कोई ज़रूरत हो कोई विशेष खर्च उसके ऊपर आ पड़े जिसे वह पति से मांग करते हुए भी हिचके शर्म महसूस करे तो उस में से वह खर्च कर सके या कई बार ऐसी ज़रूरत हो सकती है, जो मौके पर पति भी पूरी नहीं कर सकते तो औरत के पास कुछ हो तो तभी वह अपनी ज़रूरत पूरी कर सकती है और अगर मेहर देना ही नहीं तो यह दोनों सूरतें या और भी बहुत सारी सूरतें हैं वह पूरी नहीं हो सकतीं। जैसे महिला की ज़रूरत है किसी की मदद के लिए किसी रिश्तेदार की मदद करना और उसको पति से नहीं बताना चाहती तो उसके पास यह रकम होनी चाहिए। तो ऐसी ही कोई न कोई रकम हो जो अपनी आपात कालीन ज़रूरतों और अपनी इच्छा से खर्च के लिए वह पूरी कर सके।

कुछ पति मेहर का अदा करना तो अलग रहा औरत जो अपनी कमाई कर रही है इस पर भी प्रतिबंध लगा देते हैं कि तुम ने हमारे पूछे बिना खर्च नहीं करना। या हमें दो। यह सारी जो आय है उसमें इतना हिस्सा हमारे पास आना चाहिए, हमारे बैंक खाते में जाना चाहिए, जो सरासर नाजायज़ बात है। इसी तरह कुछ ग़रीब परिवारों में और कुछ स्थानों पर यह भी रिवाज है ग़रीब देशों में है कि माता-पिता शादी के

समय मेहर लड़की के पति या ससुराल से ही हासिल कर लेते हैं और लड़की को कुछ भी नहीं मिलता। वह शादी के बाद ख़ाली हाथ रहती है। यह भी ग़लत बात है यह तो लड़कियों को बेचने वाली बात है जिसकी इस्लाम में सख्त मनाही है। इसी तरह कई बार औरतें अपने पतियों को मेहर माफ कर देती हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं कि उनके हाथ में रख कर फिर पूछो बल्कि उमर रज़ियल्लाहो अन्हो और कुछ इमामों का और बुज़ुर्गों का यह फैसला है कि औरत को हक मेहर दो फिर वह एक साल उसे अपने पास रखे और फिर अगर चाहे तो पति को वापस कर दे। खर्च में लाए और फिर वह माफ करना चाहे या देना चाहे तो दे दे।

हज़रत मुस्लेह मौऊद ऐसे ही मेहर की माफी की एक घटना का वर्णन करते हैं जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के एक सहाबी की है। हज़रत हकीम फज़ल दीन साहिब हमारे सिलसिला में साबकून अव्वलून (पहलों में) से हुए। उनकी दो पत्नियां थीं। एक दिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेहर शरीअत का हुक्म है और निश्चित रूप से महिलाओं को देना चाहिए। इस पर हकीम साहब ने कहा कि मेरी बीवियों ने मुझे माफ कर दिया है। हज़रत साहब ने फ़रमाया क्या आप अपने हाथ में रखकर माफ किया था? कहने लगे नहीं हुज़ूर यूं ही कहा था और उन्होंने माफ कर दिया। हज़रत साहिब ने फरमाया। पहले आप उन की झोली में डालें फिर उसे माफ करवाएं।(यह भी निम्न स्थिति है असल बात यही है कि माल महिला के पास कम से कम एक साल रहना चाहिए और फिर इस अवधि के बाद यदि वह माफ करे तो सही है।) उनकी पत्नियां दो थीं और मेहर पांच सौ रुपए था। हकीम साहब ने कहीं से कर्ज़ लेकर पांच सौ रुपए उन्हें दे दिया और कहने लगे तुम्हें याद है कि तुम ने अपना मेहर मुझे माफ कर दिया है तो अब मुझे वापस दे दो इस पर उन्होंने कहा कि उस समय हमें क्या पता था कि आप ने देना है इसलिए कह दिया था कि माफ किया। अब हम नहीं देंगी। (अब तो हमारे पास आ गया।) हकीम साहब ने आकर यह घटना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को सुनाई कि मैं इस विचार से कि रुपया मुझे वापस मिल जाएगा दोनों पत्नियों को एक हज़ार रुपया ऋण लेकर मेहर दिया था मगर रुपया लेकर उन्होंने माफ करने से इनकार कर दिया। हज़रत साहिब यह सुनकर बहुत हँसे और फरमाने लगे यही बात सही है कि पहले स्त्री को मेहर अदा किया जाए और कुछ समय के बाद अगर वह माफ करना चाहे तो कर दे अन्यथा दिए बिना माफ कराने के मामले में तो "मुफ्त करम दाशतन" वाली बात है (कि हींग लगे न फिटकिरी अब किसी असुविधा के बिना ही अपना एहसान जता लिया।) औरत समझती है न उन्होंने मेहर दिया और न देंगे। चलो कहते हैं कि माफ ही कर दो। मुफ्त का एहसान ही होता है जब औरत को मेहर मिल जाए तो अगर वह ख़ुशी से दे तो ठीक है वरना दस लाख रुपया भी अगर उस का मेहर हो मगर उसे मिला नहीं तो वह दे देगी क्योंकि वह जानती है कि मैंने जेब से निकाल के तो कुछ देना नहीं केवल मौखिक जमा खर्च है इसमें क्या हर्ज है। इसलिए महिलाओं को माफ करने से पहले उन्हें मेहर अदा किया जाना चाहिए और अगर यह मेहर ऐसे समय में दिया जाता है जब उन्हें अपनी ज़रूरतों की ख़बर नहीं। (कई बार औरत को आवश्यकताओं का पता ही नहीं होता।) या जबकि माता पिता से लेना चाहते हैं यह नाजायज़ है। (यानी जैसे मैंने उदाहरण दिया है कि कुछ लोग अपनी बेटियों का मेहर ख़ुद लेते हैं यह नाज़यज़ बात है) और यह वेश्यावृत्ति है जो किसी तरह ठीक नहीं है।"

(ख़ुत्बाते महमूद भाग 9 पृष्ठ 217)

फिर ज़कात है। ज़कात भी फर्ज़ में दाख़िल है। हर आदमी के लिए ज़कात है जो उसकी शर्तें पूरी करता हो लेकिन ऐसे बुज़ुर्ग भी हैं जो जितना धन हो जो आय हो अल्लाह तआला की राह में खर्च कर देते हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग का किस्सा हज़रत मुस्लेह मौऊद बयान फ़रमाते हैं कि "इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें ख़ुदा ने लोगों के लिए नमूने के रूप में बनाया है। हज़रत मुस्लेह मौऊद कहते हैं कि मैंने ख़ुद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से सुना है कि किसी ने एक बुज़ुर्ग से पूछा कि कितने रुपए में ज़कात है उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए मस्ला यह है कि चालीस रुपए में से एक रुपया ज़कात दो। उसने कहा कि आप ने जो वाक्यांश बोला कि "तुम्हारे लिए" क्या मतलब है क्या ज़कात का मस्ला हर एक के लिए बदलता रहता है। उन्होंने कहा हां तुम्हारे पास चालीस रुपये हों तो उनमें से एक रुपया ज़कात देना तुम्हारे लिए आवश्यक है लेकिन अगर मेरे पास चालीस रुपए हूं तो मुझे इकतालीस रुपये देना अनिवार्य हैं क्योंकि तुम्हारा स्थान ऐसा है कि ख़ुदा तआला ने कहा है कि तुम कमाओ और खाओ लेकिन मुझे वह स्थान दिया है कि मेरे खर्च का वह आप ज़िम्मेदार है अगर मूर्खता से चालीस रुपए जमा कर लूँ तो वह चालीस रुपए भी दूंगा और एक रुपया जुर्माना भी दूंगा। (तफसीर कबीर भाग 7 पृष्ठ 546) यह बुज़ुर्गों का हाल है।

तो कुछ लोगों का फर्ज़ है कि वह केवल धर्म की ओर ध्यान रखें। अल्लाह तआला ने उन्हें इसी काम के लिए बनाया है, लेकिन बाकी लोग हैं जो सिर्फ दुनिया के रहने वाले हैं वे वास्तव में अब दुनिया कमाऐं और फिर अपने धन और समय का कुछ हिस्सा खर्च करें। इबादत और धर्म के कामों में भी अपने समय को लगाएं इस्तिग़फ़ार भी करें। दुआएं भी करें। अल्लाह तआला ने जो उन्हें इज़्ज़त और धन और प्रसिद्धि दी है तो यह बतौर एहसान अल्लाह तआला की तरफ से है। इसलिए इस एहसान का धन्यवाद यह है कि इसमें अन्य लोगों का भी साथ साथ ख़याल रखें।

कुछ लोगों के दिमाग़ अधिक कारोबारी होते हैं या नकल में ही ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो जमाअत की रिवायतों के ख़िलाफ होती हैं या इस्लामी शिक्षा से मेल नहीं रखतीं। ऐसे लोग अधिकारियों में भी पाए जाते हैं। कई बार स्थानीय अंजुमनें भी ऐसे फैसले कर लेती हैं। कादियान में एक बार लोकल अंजुमन ने एक फार्म प्रकाशित किया और अन्य व्यक्तियों को बेचना एक आने का शुरू कर दिया। चार पैसे का एक आना होता था। शायद कोई रिपोर्ट फार्म जैसी चीज़ थी। आज भी कई लोग यह नई बातें पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं और अपनी रिवायतों को भूल जाते हैं। बहरहाल उस समय जिस रंग में हज़रत मुस्लेह मौऊद ने उन्हें समझाया वह प्रस्तुत करता हूँ। आपने फरमाया कि "मैं जमाअत के लोगों को नसीहत करता हूँ कि वे अपने सभी कार्यों में निज़ाम का पालन किया करें। मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का अनुकरण किया करें और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का पालन किया करें। अब थोड़े दिन हुए मुझे एक काग़ज़ दिखाया गया था। मैंने तो इतना ही देखा कि काग़ज़ पर इस प्रकार का नक्शा था जैसे फार्मों आदि में होता है मगर बताने वाले ने बताया कि यह एक आना पर बिकता है और पता चला कि हमारी स्थानीय अंजुमन ने उसे आविष्कार किया है। उन्होंने सरकारी स्टांप देखे तो ख़्याल आया कि हम भी एक काग़ज़ बनाकर उसका कुछ मूल्य निर्धारित कर दें। कहते हैं कि कौवा हंस की चाल चला और वह अपनी चाल भी भूल गया। मैं यह तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि हँस कौवे की चाल चला और अपनी चाल भूल गया। हमें सांसारिक गावर्नमंटों से भला वास्ता ही क्या है कि हम उनकी नकल करें। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस प्रकार की फाम कभी नहीं बनाए। फिर दुश्मन को एतराज़ का ख़्वामख़्वाह मौका देना कहाँ की समझदारी है। इसी प्रकार की बातों के परिणाम में दुश्मन को आरोप करने का मौका मिलता है और वह कहता है ख़बर नहीं यह क्या बात कर रहे हैं। करने वाला कोई होता है और बदनाम सिलसिला होता है। लोकल कमेटी वालों का उदाहरण बिल्कुल ऐसी ही है जैसे (फिर आप उदाहरण देते हैं) कि गुरदासपुर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। लंबा सा कद था बड़ी सी दाढ़ी थी। अरज़ी नवीस या नक़ल नवीस था। उनका तरीका था कि जब एक दोस्त को दूर से देखा तो बजाय अस्सलामो अलैकुम कहने कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहना शुरू कर देते और जब पास पहुंचे तो उसके अंगूठे पकड़ कर अल्लाह अकबर कहने लग जाते और साथ-साथ उछलता भी जाते थे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पास अक्सर मिलने के लिए आ जाते थे। उन्हें भी हमारे लोकल कमेटी के सदर की तरह नकल का शौक था। (नकल का उदाहरण दे रहे हैं कि लोगों की नकल करके कुछ लोग ग़लत काम करते हैं। नकल का शौक था) वह ग़रीब चूंकि रोज़ मिसलों का काम सुना करते थे।(कोर्ट में अरज़ी नेवीस थे) इसलिए उनका भी दिल चाहता था कि मजिस्ट्रेट बनूँ और मिसलें लाने का आदेश दिया करूँ मगर चूंकि यह इच्छा पूरी न हो सकती थी इसलिए उन्होंने ने घर में एक तरीका ईजाद किया कि एक नमक की मिसल बना ली। एक घी की मिसल बनाई। एक मिर्चों की मिसल बनाई। एक ईंधन की मिसल बना रखी थी। जब वह दफतर से फारिग़ होकर घर आते और एक घड़ा उलटा कर के उस पर बैठ जाते और बीवी से कहते कि नमक चाहिए वह बीवी को संबोधित करके कहते कि रीडर! अमुक मिसल लाओ। बीवी मिसल ले आती और वह इसे पढ़ने के बाद थोड़ी देर विचार करते और फिर कहते अच्छा इसमें लिखा जाए कि हमारे आदेश से इतना नमक दिया जाता है। एक दिन उस की बद किस्मती से कचहरी में से कुछ मिसल चुराई गईं। तहक़ीक शुरू हुई तो उसका एक पड़ोसी कहने लगा कि सरकार मुझे इनाम दें तो मिसलों का पता बता सकता हूँ। उसे कहा गया अच्छा बताओ इसे हर दिन पड़ोसी के घर से मिसलों का उल्लेख सुनाई देता था, उसने झट उस बूढ़े का नाम ले दिया। अब पुलिस अपने सभी साधनों के साथ उसके घर के आसपास जमा हो गई और तलाशी

शुरू हुई मगर जब मिसलों की बरामद हुई तो कोई नमक की मिसल निकली कोई घी की मिसल और कोई मिर्चों की मिसल। हज़रत मुस्लेह मौऊद फरमाते हैं कि यही नज़ारा मैं आज कल यहाँ देखता हूँ कि हमारे दोस्त यह समझ कर कि पश्चिमी बातें बड़ी अच्छी होती हैं, उनकी नकल करना शुरू कर देते हैं"(उद्धरित ख़ुत्बाते महमूद भाग 16 पृष्ठ 229-230) यह नहीं देखते कि इस की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ एक फार्म या इसकी क़ीमत का सवाल नहीं है। एक सामान्य नियम है कि हमारी शिक्षा और रिवायतों के ख़िलाफ बात हो इस से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए और दुनियादारी में अगर हम ने नकल करनी है तो पहले यह कि यह दुनियादारी की नकल है ही नहीं और अगर किसी भी मामले में नकल करना है तो अल्लाह तआला ने जो हमें फरमाया है कि आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए उस्वा हस्ना हैं आप की नकल करनी चाहिए या फिर इस ज़माना में अल्लाह तआला ने हमारे सामने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का नमूना बनाया। आप ने जो अपने आक़ा से सीखा हमें बताया उसके अनुसार हमें चलना चाहिए।

हज़रत मुस्लेह मौऊद एक घटना अपनी बयान फ़रमाते हैं कि "मुझे याद है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़िन्दगी का अंतिम साल था या आप के बाद ख़िलाफत अव्वल का कोई रमज़ान था। बहरहाल मौसम की गर्मी के कारण या इसलिए कि सेहरी के समय पानी न पी सका था। मुझे एक रोज़ा में अत्यधिक प्यास महसूस हुई थी कि मुझे डर था कि मैं बेहोश हो जाऊँगा और दिन ढलने में अभी एक घंटा बाकी था। मैं निढाल होकर एक चारपाई पर गिर पड़ा और मैंने कशफ़ में देखा कि किसी ने मेरे मुंह में पान डाला है। मैं यह चूसा तो सब प्यास जाती रही। इसलिए जब वह स्थिति जाती रही तो मैंने देखा कि प्यास का नामो निशान भी नहीं बाकी रहा था तो अल्लाह तआला ने इस तरह से मेरी प्यास बुझा दी और जब प्यास बुझी तो पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। (ज़रूरत तो उसी समय थी न जब प्यास लग रही थी) अत: तो यह होती है कि ज़रूरत पूरी कर दी जाए चाहे उचित सामान प्रदान करके हो चाहे इससे दूरी पैदा करके।(यानी उसकी इच्छा ही न रहे या तो कुछ प्रदान कर दी जाए या उस बात की इच्छा न रहे।)

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को एक आदमी ने लिखा कि दुआ करें कि अमुक महिला के साथ मेरी निकाह हो जाए। आपने कहा कि हम दुआ करेंगे मगर निकाह की कोई शर्त नहीं है चाहे निकाह हो जाए चाहे उस से नफरत पैदा हो जाए तो आप ने दुआ फरमाई और कुछ दिन बाद उसने लिखा कि मेरे दिल में नफरत पैदा हो गई है। इसी तरह मुझे भी एक आदमी ने(हज़रत मुस्लेह मौऊद फरमाते हैं कि एक व्यक्ति ने) ऐसा लिखा था और मैंने भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत में उसे यही जवाब दिया था और उसने बाद में मुझे बताया कि उसके दिल से उसका ख़याल जाता रहा। तो अल्लाह तआला दोनों रूपों में मदद करता है ।(उद्धरित ख़ुत्बात महमूद भाग 17 पृष्ठ 343-342) यानी असली बात यह है कि या जिस की इच्छा की जा रही है वह इच्छा पूरी हो जाए या फिर दिल से वे इच्छा ही मिट जाए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और इसी तरह अल्लाह तआला से दुआ करनी चाहिए। तो असली बात यही है कि अल्लाह तआला की रज़ा और उसके फैसले को महत्त्व देते हुए दुआ की जाए।

अभी भी कुछ लोग ख़त लिखते हैं। मुझे भी ख़त आते हैं कि अमुक जगह रिश्ता करना है दुआ करें उस से हो जाए और साथ कोशिश भी करें और उसके माता पिता को भी कहें और इस निज़ाम को भी कहीं वरना खत्म हो जाऊँगा। मैं भी मर जाऊँगा और दूसरा पक्ष भी मर जाएगा। तो यह व्यर्थ और लग़्व बातें हैं। शादी का मूल उद्देश्य तो मन की शांति और नस्ल की स्थापना है। तो अल्लाह तआला से उस का फज़ल मांगना चाहिए और यदि अल्लाह तआला के पास बेहतर है तो हो वरना दिल से उतर जाए और ख़त्म हो जाए। यह मुहब्बतें जो संसार में यह अस्थायी मुहब्बतें होती हैं। दुनिया की मुहब्बत भी अल्लाह तआला की मुहब्बत के लिए मांगनी चाहिए और फिर अगर यह होगा तो सांसारिक मुहब्बत भी नेकी बन जाएगी और फिर हमेशा दिल की शांति और संतोष का कारण रहेगी।

इस बात का वर्णन कहते हुए कि दुनिया में कोई चीज़ अपनी ज़ात में हानिकारक नहीं है। हज़रत मुस्लेह मौऊद फरमाते हैं कि "कुचला है यह भी एक ज़हर है इसे खाने से कई लोग मर जाते हैं लेकिन लाखों लाख इंसान इससे बचते भी हैं।(यानी कि इलाज के रूप में इस्तेमाल होता है।) इसी तरह भारी तबाही वाली चीज़ अफीम है लेकिन इस की तबाही के मुकाबला में इस के फायदे बहुत अधिक हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि हकीमों का कथन है कि चिकित्सा की आधी दवाएं ऐसी हैं जिनमें अफीम इस्तेमाल होती है और इसका इतना फायदा है कि अनुमान लगाना मुश्किल है। जब इंसान को चिंता और परेशानी होती है जब इंसान की नींद उड़ जाती है। जब मनुष्य दर्द से निढाल होकर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता है तो उसे मारफिया का टीका लगाया जाता है जिस से उसे तुरंत आराम हो जाता है। तो दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो अपनी ज़ात में नुकसान देने वाली हो। नुकसान देने वाली बात केवल दुरुपयोग है जो इंसान की अपनी कमियों का नतीजा होता है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रोग को अपनी और भलाई को ख़ुदा तआला की ओर सम्बंधित ठहराया है, लेकिन हमारे देश में एक मुसलमान ख़ुदा पर ईमान रखते हुए जब किसी काम में विफल रहता है तो वह कहता है कि मैंने तो पूरा ज़ोर लगा दिया था लेकिन ख़ुदा तआला ने मुझे विफल कर दिया मानो वह ख़ूबी को अपनी ओर और बुराई को ख़ुदा तआला की ओर वर्णन करता है।

(तफसीर कबीर भाग 7 पृष्ठ 169-170)

इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि सच्चे मोमिन का काम है कि जब किसी काम का अच्छा नतीजा निकले तो यह कहे कि अल्हम्दो लिल्लाह ख़ुदा तआला ने मुझे सफल कर दिया और जब ख़राब परिणाम निकले तो वह इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजेऊन पढ़े और कहे कि मैं अपनी कमियों के कारण विफल हुआ। ख़ुदा तआला की तरफ से बरकत उसे मिलती है जो कमियों को अपनी ओर मंसूब करे और सफलता पर अल्हम्दो लिल्लाह कहे। ऐसा कहने वालों पर अल्लाह तआला फिर रहम करता है और फिर यह फरमाता है कि रहम फरमाते हुए कि मेरा बन्दा सफलताओं को मेरी तरफ ठहराता है तो मैं उसे अधिक सफलताओं से नवाज़ूंगा।

कुछ मामूली सी बातें बड़े परिणाम पैदा करती हैं। इस बात का वर्णन करते हुए हज़रत मुस्लेह मौऊद ने अपने एक ख़ुत्बा में फरमाया कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से मैंने सुना है आप किसी औरत का किस्सा बयान फ़रमाते कि उसका एक ही लड़का था। वह लड़ाई में जाने लगा तो उसने अपनी माँ को कहा कि आप मुझे कोई ऐसी बात बताएं जो अगर वापस आऊँ तो उपहार के रूप में आप के लिए लेता आऊँ और आप उसे देख ख़ुश हो जाएं। माँ ने कहा कि यदि सलामत आ जाए तो यही बात मेरे लिए ख़ुशी का कारण हो सकती है। लड़के ने ज़ोर दिया और कहा आप ज़रूर कोई बात बताओ। माँ ने कहा, यदि तू मेरे लिए कुछ लाना ही चाहते हो तो रोटी के जले हुए टुकड़े जितने ला सके अधिक ले आना। उन्हीं से मैं ख़ुश हो सकती हूँ। उस ने उसे बहुत मामूली सी बात समझकर कहा कुछ और बताएं लेकिन माँ ने कहा बस यही मुझे ख़ुश कर सकती है। ख़ैर वह चला गया। खाना जहां भी था रोटी पकाता तो जान बूझकर इसे जलाता था ताकि जले हुए टुकड़े अधिकतम इकट्ठा करे। रोटी का कुछ हिस्सा तो ख़ुद खा लेता और जला हुआ हिस्सा एक बैग में डालता जाता। कुछ समय के बाद जब घर आया तो उसने जले हुए टुकड़े के कई बैग अपनी माँ के आगे रख दिए वह यह देख कर बहुत ख़ुश हुई। उसने कहां अम्मा ! मैंने आप के कहने का पालन तो किया था लेकिन मुझे अभी तक यह पता नहीं चला कि यह बात क्या थी। माँ ने कहा कि इस समय जब तुम गए थे उसका कहना उचित न था। अब मैं बताती हूँ और वह यह कि बहुत सी बीमारियां आदमी को कच्चा खाना खाने की वजह से पैदा हो जाती हैं। मैंने जले हुए टुकड़े लाने के लिए तुम्हें कहा था। इन टुकड़ों के लिए क्योंकि तुम इन टुकड़ों के लिए ऐसी रोटी पकाओगे वह किसी कदर जल भी जाए और जली हुई रोटी रख दोगे और बाकी खा लोगे इससे तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। तो ऐसा ही हुआ।

(ख़ुत्बाते महमूद भाग 5 पृष्ठ 188-189)

तो ज़ाहिर है यह छोटी सी बात है और अगर माँ सीधे कहती बच्चे रोटी अच्छी तरह पका कर खाना तो बच्चा कह सकता था कि मैं मूर्ख नहीं हूँ युवक हूँ कि कच्ची रोटी खाऊंगा हालांकि मैंने अभी भी देखा है इस ज़माने में भी अक्सर लोग यह मूर्खता कर रहे होते हैं और कच्ची रोटी बड़े शौक से खा रहे हैं। बहरहाल माँ की यह बात इस बच्चे को स्वस्थ रखने का कारण बनी।

हज़रत मुस्लेह मौऊद फ़रमाते हैं कि यह भूमिका मैंने इसलिए बयान की है (अपने एक ख़ुत्बा में मस्ला वर्णन कर रहे थे) कि दुआ की कुबूलियत के संबंध में भी कुछ लोग समझते हैं कि यह छोटी छोटी बातें हैं जो वर्णन की जा रही है और हमें पहले से ये बातें पता हैं लेकिन पता होने के बावजूद पालन नहीं करते। तो अल्लाह तआला फरमाता है दुआ की स्वीकृति के लिए दो बुनियादी शर्तें हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि "फलयसतजीबू ली वल यौमेनोबी" कि मेरी बात मानो और मुझ पर

ईमान लाओ। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं दरूद भेजो, सदका दो लेकिन बहरहाल कुरआन शरीफ में इन दो बातों का(ज़िक्र)आया है। लोग कह देते हैं कि हमें पता है। तो पता तो है लेकिन अनुकरण नहीं करते। मुझे लिख भी देते हैं बहुत सारे लोग कि हम ने बहुत दुआएँ कीं अल्लाह तआला हमारी दुआएं स्वीकार नहीं करता। यह अल्लाह तआला पर आरोप है। वास्तव में यह ईमान की कमज़ोरी भी है कुछ समय हुआ है एक आदमी मेरे पास आया कि मैंने बहुत दुआएं की हैं मेरी स्वीकार नहीं हुईं क्या कारण है।? मैंने उसे यही कहा कि अल्लाह तआला तो यह कहता है कि "फलयस तजीबू ली" कि मेरे हुक्मों पर चलो तो तुम अल्लाह तआला के जो सभी आदेश हैं उन पर चलते हो। वह कहने लगा नहीं तो पहले अपनी स्थितियों को हमें देखना चाहिए कि हम किस हद तक पालन कर रहे हैं और फिर "वल यौमेनोबी" पर भी अनुकरण नहीं है क्योंकि अगर दुआ स्वीकार नहीं हुई तो हमारे विचार में यह दुआ स्वीकार नहीं हुई उसी से हमारा विचार करते हैं हम कि दुआ स्वीकार नहीं हुई क्योंकि सचमुच पूरी नहीं हुई इसलिए ईमान कमज़ोर हो गया। तो ईमान तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला चाहिए जिसका पहले ज़िक्र आ चुका है कि अपनी कमज़ोरी को अपने ओर सम्बन्धित करें और सफलता को अल्लाह तआला की ओर संबन्धित करें है। फिर अल्लाह तआला कहता है कि अगर यह स्थिति होगी कि मेरा बन्दा मेरे से यह उम्मीद है कि मैं उसकी दुआ स्वीकार करता हूं तो अल्लाह तआला दुआएं स्वीकार भी करता है। अल्लाह तआला हमें अपने हुक्मों पर चलने की ताकत भी प्रदान करे। हमारे ईमानों को मज़बूत करे और हमारी दुआओं को भी कुबूलियत का दर्जा बख़्शे।

नमाज़ के बाद एक नमाज़ जनाज़ा ग़ायब भी पढ़ाऊंगा जो सय्यद असदुल इस्लाम शाह साहब ग्लासगो का है। यह सय्यद नईम शाह साहब के बेटे हैं। उनके पिता भी और लड़के के दादा भी यह पुराना ख़ानदान है। सेवा करने वाला है। 24 मार्च 2016 ई को 40 साल की उम्र में एक बदमाश के हमले के नतीजा में फौत हो गए। इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजेऊन। 24 मार्च को ग्लासगो में अपनी दुकान के बाहर गंभीर रूप से घायल हालत में पाए गए थे। वहां से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही फौत हो चुके थे और अहमदी होने के कारण उन्हें शहीद किया गया और उन्होंने जान कुर्बान की और बहरहाल शहादत का रुतबा पाया। प्रैस और सरकारी एजेंसियों ने बड़ा अफसोस और दु:ख व्यक्त किया। यहाँ की सरकार का काम है कि इन चरम पंथियों को रोके वरना अगर मौलवियों को यहाँ भी खुली छूट दे दी तो यह फिर इस देश में भी वही प्रलोभन फसाद पैदा करेगा जो बाकी मुस्लिम देशों में उन्होंने पैदा किया हुआ है।

फरवरी 1974 में रबवा में पैदा हुए थे। उन्होंने एफ.एस.सी की शिक्षा नुसरत जहां अकादमी में प्राप्त की। 1998 ई में यह ग्लासगो आ गए। अपने पिता के साथ व्यापार में भागीदार हो गए। वसीयत भी की हुई थी। नियमित यह चंदा भी देते थे। ख़ुद्दामुल अहमदिया की रिपोर्ट के अनुसार ख़ुद्दामुल अहमदिया में नियमित शामिल थे। इज्तिमाओं में सम्मिलित हुआ करते थे। चंदा देते थे। जुम्अ: की नमाज़ भी नियमित अदा करते थे। अक्सर इज्तिमाओं में भाग लिया है। मरहूम असद शाह जो हैं डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब कमर पेनशनर सदर अंजुमन अहमदिया कादियान के दामाद थे। कुछ समय से विभिन्न फीज़ज़ में उन्हें कुछ मनोवैज्ञानिक बीमारी भी आ जाती थी। जिसकी वजह से कुछ कढ़ते थे लेकिन बहरहाल क्षेत्रीय अमीर साहब ने कहा है कि जब आख़िर मैंने उनसे मुलाकात की है उन्होंने हमेशा ख़िलाफत से सम्बन्ध की घोषणा व्यक्त की तो कुछ लोगों को यह ग़लतफहमी है कि शायद जमाअत छोड़ गए थे लेकिन अहमदी थे और अहमदियत के कारण शहीद हुए और नियमित अंत तक ख़ुद्दामुल अहमदिया के कार्यक्रमों में भी और जमाअत में शामिल होते रहे।

शम्सुद्दीन साहिब कबाबीर के मुरब्बी हैं वह लिखते हैं कि असद साहब की बीवी तय्यबा साहिबा का संबंध कादियान से है और उनकी बीवी शम्सुद्दीन साहब की बीवी की चचेरी बहन हैं। कहते हैं कुछ साल पहले दो बार उनके घर जाने का मौक़ा मिला। एक रात रहने का मौका मिला। दोनों बार विनीत से वह जमाअत और तब्लीग़ के कार्य के बारे में पूछते रहे और इसके अलावा किसी भी प्रकार की सांसारिक बातचीत नहीं हुई। दोनों रात मैंने उन्हें तहज्जुद में व्यस्त पाया। अल्लाह तआला उन से क्षमा और रहम का व्यवहार करे और उनके परिजनों को माता पिता बीवी को धैर्य और शांति प्रदान करे। आज नमाज़ के बाद नमाज़ जनाज़ा ग़ायब पढ़ाऊंगा।

☆ ☆ ☆

हज़रत सैयद हबीबुर्रहमान साहब आफ बरेली सहाबी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम

हज़रत सैयद अज़ीज़ुर्रहमान साहब सिलसिला अहमदिया के एक लम्बे समय से और ईमानदार सेवक थे और बरेली में पहले 1897 ई में अहमदियत क़बूल करने की तौफ़ीक़ पाई। आप हज़रत क़ाज़ी अब्दुल्लाह भट्टी साहब 313 सहाबा और हज़रत मौलाना अब्दुल नैयर साहब के ससुर थे। हज़रत सैयद अज़ीज़ुर्रहमान साहब के पिता हज़रत सैयद हबीबुर्रहमान साहब पहले तो अहमदियत के घोर विरोधी थे लेकिन बाद में बैअत करके हुज़ूर के सहाबा में शामिल हुए। हज़रत सैयद अज़ीज़ुर्रहमान साहब फरमाते हैं:

1897 ई के आख़िर में मैं बैअत की। इन दिनों कपूरथला में था इसलिए कपूरथला की जमाअत में मेरा नाम दर्ज है। बैअत के बाद 1901 में बरेली गया जो कि मेरा असल वतन है वहाँ मेरे पिता ने मेरा सख्त विरोध किया यहां तक कि उन्होंने मुझे आक कर दिया, अहमदियों ने मुझे बहुत तसल्ली दी और बधाई दी और कहा कि कोई डर की बात नहीं मगर मेरे दिल में एक डर था। हज़रत मसीह मौऊद की सेवा में हाज़िर हुआ, हुज़ूर उस समय टहलते जाते थे और साथ ही लिखते जाते थे .... मुझे हुज़ूर ने फरमाया बैठ जाओ ! वहाँ कई पलंग रखे थे में एक पलंग के सिरहाने पर बैठ गया और हुज़ूर पाईनती पर आकर बैठ गए, मैं उठने लगा तो हुज़ूर ने फ़रमाया वहीं बैठे रहो और मैं बैठ गया और मैं ने कहा कि हुज़ूर मेरे पिता ने मुझे आक कर दिया है और हुज़ूर को भी सख्त बुरा भला कहते हैं। आपने फ़रमाया

"वह मुझे जो कुछ भी कहते हैं कहें मगर तुम पर उनकी आज्ञा का पालन लाज़मी है।"

यह सुनकर बहुत डरा और अपने पिता से जाकर सुलह कर ली। इसके बाद वह अपने पोते मोहम्मद अब्दुल्लाह के जन्म की ख़ुशी में कपूरथला आए तो मैंने उनके दाएं-बाएं हुज़ूर की किताबें रख दीं और उन्हें विरोधियों की सोहबत से बचाया। एक दिन सुबह आप कहने लगे कि कादियान को जाता हूँ मैंने कहा कि मुझे वेतन मिल जाए तो आप जाएं, फरमाने लगे मेरी जेब में एक दवन्नी है उसी से सफर कर लूंगा क्योंकि मैंने गुनाह किया है। इसलिए आप कपूरथला से कादियान तक पैदल ही आए और बैअत करके पैदल ही गए। जब उनकी वफात हुई तो हज़रत मसीह मौऊद ने उनकी नमाज़ जनाज़ा ग़ायब मस्जिद अक्सा में पढ़ाई।

(अल्हकम 14 दिसंबर 1934 ई. पेज 3)

अल्हकम 24 जुलाई 1901 ई पेज 15 पर बैअत करने वालों की सूची में आपका नाम हबीबुर्रहमान साहब बरेली शामिल है। आप मई 1906 में फौत हुए, अखबार बदर ने वफात की सूचना देते हुए लिखा:

"मुंशी अज़ीज़ुर्रहमान साहब के पिता फौत हो गए हैं दोस्त उनकी माफी के लिए जनाज़ा ग़ायब अदा करें, मुंशी अज़ीज़ुर्ररहमन साहब एक बड़े जोशीले अहमदी हैं। "

(बदर 10 मई 1906 पेज 5 कॉलम 3)

कुरआन के आयत और कलमा क्या होते हैं ?

इस्लाम धर्म की मूल किताब पवित्र क़ुरआन है। यह किताब अल्लाह तआला की तरफ से हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर 23 वर्षों में नाज़िल(अवतरित)हुई। इस की सुरक्षा का अल्लाह तआला ने वादा फरमाया है। और 1400 वर्षों से इस का एक-एक शब्द और अक्षर सुरक्षित है। संसार का कोई भी कुरआन उठा ले उस में बाल बराबर भी अन्तर नहीं।

कुरआन मजीद अरबी भाषा में नाज़िल हुआ इस के जो वाक्य हैं उन्हें आयत कहते हैं। आयत शब्द का अरबी भाषा में अर्थ है चिन्ह या चमत्कार। क़ुरआन में 6236 आयतें हैं। छोटी आयतें दो शब्दों पर आधारित जैसे नून वलकलम , यासीन आदि और सबसे बड़ी सूर ए बक़रा में है। आरम्भ में कुरआन में आयतों का निशान नहीं था बाद में लोगों की सुविधा के लिए लगाई गईं।

जहाँ तक कलमा का सवाल है उसका मतलब है अर्थपूर्ण शब्द। पूरे क़ुरआन में कलमे मौजूद हैं जो किसी न किसी संदेश को, अर्थ या दिशा निर्देश को हम तक पहुंचाते हैं। जहां तक उन छह कलमों का सवाल है जिन्हें मुसलमान प्राय पढ़ते हैं वो क़ुरआन का हिस्सा नहीं हैं लेकिन क़ुरआन और इस्लाम की मूल भावनाओं की अभिव्यक्ति हैं और मूल संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं।

☆ ☆ ☆

EDITOR
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Editor : +91-9915379255
e-mail : badarqadian@gmail.com
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF THE NEWSPAPERS FOR INDIA AT NO RN XXX
The Weekly BADAR Qadian
Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA
PUNHIND 01885 Vol. 1 Thursday 5 May 2016 Issue No. 9

MANAGER : NAWAB AHMAD
Tel. : (0091) 1872-224757
Mobile : +91-94170-20616
e-mail:managerbadrqnd@gmail.com
ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/-

पृष्ठ 2 का शेष

जगह फ़र्माते हैं कि

हे मुसलमानों ! तुम पर सभी धार्मिक कामों में मेरी सुन्नत (मेरे नमूने) का पालन करना तथा मेरे बाद मेरे उत्तराधिकारियों के ज़माने में उनकी सुन्नत का पालन करना आवश्यक होगा । क्योंकि वह ख़ुदा की ओर से हिदायत पाए हुए होंगे ।

ख़िलाफत का निज़ाम (व्यवस्था) बड़ी बरकतों वाला निज़ाम है। जिस के माध्यम से जमाअती प्रेम भाव तथा जमाअत को केन्द्रित रखने के अतिरिक्त नबुव्वत का नूर भी जमाअत के सिर पर रोशन रहता है तथा इस जमाअत के प्रेम भाव और केंद्र का होना हर नई जमाअत की बड़ी आवश्यकता होती है। यह एक बहुत बड़ी नेअमत तथा बरकत है।

5. ख़िलाफ़त के अधिकार

बुनियादी तौर पर यह याद रखना चाहिए कि ख़िलाफ़त एक रूहानी व्यवस्था है। जिस में अधिकारों का हक़ ऊपर से नीचे को आता है और चूंकि ख़िलाफ़त की व्यवस्था नबुव्वत की ही एक शाख़ा है तथा दूसरी ओर शरीअत हमेशा के लिये सम्पूर्ण हो चुकी है इसलिये जिस प्रकार शरीअत की सीमाओं के अन्दर नबुव्वत के अधिकार फैले हुए हैं उसी प्रकार शरीअत तथा सुन्नते नबवी की सीमाओं के अन्दर खिलाफ़त के अधिकार भी फैले हुए हैं। अर्थात् एक ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) इस्लामी शरीअत की सीमाओं के भीतर अपने नबी की सुन्नत के नीचे रहते हुए ख़ुदाई जमाअत की व्यवस्थाओं हेतु खुले अधिकार रखता है।

मौजूदा ज़माना के लोक तन्त्रवादी नौजवान इस बात पर हैरान होते हैं कि एक अकेले व्यक्ति के अधिकारों को इतनी छूट किस तरह प्राप्त हो सकती है । लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि सर्वप्रथम तो ख़िलाफ़त किसी (लोकतान्त्रिक) तथा दुनियावी संस्था का हिस्सा नहीं अतिपु रूहानी संस्था का हिस्सा है । जिस के अधिकार ख़ुदा तआला के अज़ली (शुरूआती) अधिकारों का हिस्सा बन कर ऊपर से नीचे को आते हैं तथा ख़ुदा की छाया उत्तराधिकारियों के सर पर रहता है।

दूसरे यह कि जब एक ख़लीफ़ा के लिये शरीअत की लोहे जैसी मज़बूत सीमाएं नियंत्रित हैं तथा नबी की सुन्नत की चारदीवारी भी मौजूद है तो फिर इन सभी ठोस बन्धनों के होते हुए उसके अधिकारों के फैलाव पर क्या टिप्पणी हो सकती है ।

नबी के बाद ख़लीफ़ा का अस्तित्व बेशक एक उपहार तथा रहमत है और रहमत का फैलाव हर हाल में बरकत देने वाला है । लेकिन फिर भी इस्लाम यह आदेश देता है कि चूंकि ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) के चुनाव में लोगों की राय का भी दखल होता है इसलिय उसे सभी विशेष कार्यों में मोमिनों से विचार विमर्ष करना चाहिये । बेशक वह हर बात में लोगों द्वारा दिये गये विचार विमर्षों के पालन करने का पाबंद नहीं परन्तु वह विचार विमर्ष करने का पाबंद ज़रूर है । ताकि इस प्रकार एक तरफ जमाअत की कौमी तथा धार्मिक सियासत के प्रशिक्षण का काम जारी रहे तथा दूसरी ओर आम कामों में विचार विमर्श करने से जमाअत में आपसी प्रेम भाव उत्पन्न हो । लेकिन विशेष परिस्थितियों में वह स्वयं फैसला लेने का अधिकार रखता है।

6. ख़िलाफत से अलग होने का सवाल

जिन लोगों ने ख़िलाफ़त के पद को नहीं समझा वह क्या कभी अपनी नादानी की वजह से ख़लीफ़ा को उसके पद से हटाने के प्रश्न में उलझने लगते हैं । वह लोग ख़िलाफ़त को दुनियावी लोकतांत्रिक व्यवस्था समझ कर आवश्यकतानुसार ख़लीफ़ा को उसके पद से हटाने का रास्ता तलाश करना चाहते हैं ।

यह ख़्याल बड़ा ही मूर्खता पूर्ण है जो कि ख़िलाफ़त के वास्तविक स्थान को न समझने से उत्पन्न होता है । जबकि सच तो यह है कि जैसा कि ऊपर बताया गया है ख़िलाफ़त एक रूहानी व्यवस्था है जो ख़ुदा तआला की विशेष सामर्थ के नीचे नबुव्वत को पूर्णता प्रदान करने के लिये स्थापित की जाती है तथा बेशक इसमें ख़ुदाई तकदीर से लोगों की राय का भी दख़ल होता है परन्तु वास्तव में वह ख़ुदा के विशेष सामर्थ से ही स्थापित होती है ।

इसके साथ ही वह एक उत्तम कोटि का ख़ुदाई परोपकार भी है । अत: इस विषय में किसी भी स्थिति में अज़ल (अर्थात् ख़लीफ़ा को इसके पद से हटाने) का ख़्याल उत्पन्न नहीं होता।

इसीलिए हज़रत उस्मान (रज़ि) की ख़िलाफ़त की ओर इशारा करते हुए आँ

सबसे बड़ी करामत -शरीयत की पैरवी

हज़रत अबू बकर वास्ती हज़रत जुनैद बग़दादी की प्रसिद्धि सुनकर दीवाना वार आपकी सेवा में पहुंचे और एक साल तक आप की मज्लिस से लाभान्वित हुए और हज़रत जुनैद बग़दादी के दिन और रात का बारीकी से अध्ययन का अवसर भी मिला लेकिन उनकी आलोचना दृष्टि के कारण उनकी मज्लिस उन का दिल भर गया और हज़रत जुनैद से वापस विदा होने की आज्ञा चाही। हज़रत जुनैद ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा मेरे भाई आप साल भर तक यहां रहे न अपनी कही न सुनी। और अब अचानक चलने के लिए तैयार हो गए। आख़िर क्या बात है। हज़रत अबू बकर वास्ती ने कहा कि सच पूछें तो मैं बैअत के इरादे से हाज़िर हुआ था। साल भर रह कर देखता रहा कि आप से कोई कशफ़ या चमत्कार प्रकट नहीं हुई। वही सुफिया वाले सारे तरीके है। नमाज़, रोज़ा तहज्जुद, इशराक, चाशत, दर्स जब आप में और अन्य सूफिया के तरीके में कोई अंतर नहीं देखा तो जाने की अनुमति चाही।

हज़रत जुनैद ने कहा कि इस अवधि में तो कोई काम शरीयत के ख़िलाफ और सुन्नत के ख़िलाफ मुझ से देखा था।

हज़रत अबू बकर ने कहा शरीयत के ख़िलाफ तो कोई बात बिल्कुल नहीं देखी। हज़रत जुनैद ने उनका हाथ झटक कर कहा कि जा जुनैद का यही चमत्कार समझ ले कि उसे अल्लाह तआला ने अपने विशेष आनंद और इनायत से दे दी है। हज़रत अबू बकर ख़ुद ब ख़ुद आप के पैरों पर गिर पड़े आपकी बैअत की और ख़ुदा के नेक बन्दों में शामिल हुए।

(हकायात सोफिया पेज 91-90 तालीफ तालिब हाशमी प्रकाशक अलकमर इन्टर प्राइज़िज़ उर्दू बाज़ार लाहौर प्रकाशन अगस्त 1995)

☆ ☆ ☆

हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ''ख़ुदा तुझे एक क़मीज़ पहनाएगा मगर दोगले (मुनाफिक) लोग उसे उतारना चाहेंगे लेकिन तुम उसे कदापि न उतारना"।

7. ख़िलाफ़त का ज़माना

यह तो मालूम है कि जब ख़िलाफ़त ख़ुदा का एक पुरस्कार है और वह नबुव्वत के काम को सम्पूर्ण करने के लिये आती है तो अवश्य ही इसकी स्थापना की दो ही शर्तें समझीं जाएँगी। पहली यह कि ख़ुदाए अलीमो हक़ीम (सबसे ज्यादा जानने वाला ख़ुदा) के ज्ञान में मोमिनों (मुसलमानों) की जमाअत में इसकी योग्यता रखने वाले लोग मौजूद हों। तथा दूसरी यह कि नबुव्वत के काम को परिपूर्ण करने के लिये इसकी आवश्यकता बाकी हो ।

इसलिए जब तक किसी ख़ुदाई जमाअत में ख़िलाफ़त की योग्यता रखने वाले लोग मौजूद रहेंगे और फिर जब तक ख़ुदा के ज्ञान में किसी ख़ुदाई जमाअत के लिये नबुव्वत के काम को पूरा करने तथा न उनके बीजारोपण के बाद उसकी देख भाल की आवश्यकता बाकी रहेगी तब तक ख़िलाफ़त का सिलसिला जारी रहेगा और यदि किसी समय ज़ाहिरी तथा व्यवस्थित ख़िलाफ़त का दौर दबेगा तो उसके मुकाबिल पर इस्लाम की ख़िदमत के लिये रूहानी ख़िलाफ़त का दौर उभर आएगा और इस प्रकार (यदि ख़ुदा ने चाहा) इस्लाम के बाग़ पर कभी ख़िज़ा (पतझड़) को विजय प्राप्त नहीं होगी ।

(अनुवादक शेख मुजाहिद अहमद शास्त्री)

☆ ☆ ☆

इस्लाम और जमाअत अहमदिय्या के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें

नूरुल इस्लाम नं. (टोल फ्री सेवा) :
1800 3010 2131
(शुक्रवार को छोड़ कर सभी दिन सुबह 9:00 बजे से रात 11:00 बजे तक)
Web. www.alislam.org, www.ahmadiyyamuslimjamaat.in

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badr, at Fazle-Umar Printing Press Qadian,
Harchowal Road Po. Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab, India. Editor Shaikh Mujahid Ahmad